प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 11.10.2025

- **संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी के मामले से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***
- **संतकबीरनगर की चोरी की 02 घटनाओं का हुआ खुलासा***
- **आला नकब 02 अदद गैस कटर पाइप सहित, 01 अदद टार्च, 01 अदद महिन्द्र सुप्रो पिकप व कुल 3000रु0 नगद बरामद किया गय**

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री संदीप कुमार मीना** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सुशील कुमार सिंह** द्वारा जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री पंकज कुमार पाण्डेय** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनाँक 11.10.2025 को 04 अभियुक्तगण नाम पता 01. राजेश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी बमनडोलिया थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. इल्दीजा हुसैन पुत्र मुस्तफा ग्राम इटवा बाजार थाना रुधौली जनपद बस्ती, 03. सुरज देव सिंह पुत्र बेचन सिंह ग्राम वीरपुर भरपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा, 04. हिमांशु चौधरी पुत्र दिवाकर चौधरी ग्राम दानु कोईया थाना डिडई जनपद – सिध्दार्थनगर को आला नकब आला नकब 02 अदद गैस कटर पाइप सहित, 01 अदद टार्च, 01 अदद महिन्द्र सुप्रो पिकप व कुल 3000रु0 नगद बरामद करते हुए औद्योगिक क्षेत्र शमशान घाट के पास से गिरफ्तार किया गया।

पहली घटनाः- दिनाँक 22.05.2025 को वादी श्री अमित निवासी 33/11 केवी विद्युत केन्द्र खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 16.05.2025 वादी मड़या निकट काली मन्दिर 400केवीए ट्रांसफार्मर से अज्ञात व्यक्ति द्ववारा 400 ली0 तेल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था । प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 432/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

दूसरी घटनाः- दिनाँक 11.10..2025 को वादी श्री उ0नि0 मोतीलाल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना दिया गया कि वादिनी दिनाँक 10.10.2025 को मुखबीर द्वरा सूचना दिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र मे शमशान घाट के पास एक महेन्द्रा सुप्रो पिकप लेकर कुछ चोर चोरी करने के लिए विचार विमर्श कर रहे है उक्त सूचना पर उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव व हमरीह हे0क0 नुसुरुद्दीन खां, का0 भानू प्रताप सिंह, का0 रंजन कुमार यादव द्वारा शमशान घाट पर पहुंचकर उक्त व्यक्तियों से घेर घार कर पकड़ लिया गया तथ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 931/2025 धारा 313,317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01.राजेश कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी बमनडोलिया थाना छपिया जनपद गोण्डा,
02. इल्दीजा हुसैन पुत्र मुस्तफा ग्राम इटवा बाजार थाना रुधौली जनपद बस्ती,
03. सुरज देव सिंह पुत्र बेचन सिंह ग्राम वीरपुर भरपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा,
04. हिमांशु चौधरी पुत्र दिवाकर चौधरी ग्राम दानु कोईया थाना डिडई जनपद सिध्दार्थनगर

बरामदगी का विवरणः-
01- 02 अदद गैस कटर पाइप सहित
02- 01 अदद टार्च,
03-01 अदद महिन्द्र सुप्रो पिकप
04- 09 आक्सीजन गैस सिलिंडर
05- 03 अदद एलपीजी गैस सिलिंडर
व चोरी से बरामद कुल 3000रु0 नगद

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि हम लोगो लोग बेरोजगार है रात मे इसी वाहन संख्या UP51 CT 1902 महेन्द्रा सुप्रो से घूम कर चोरी कर लेते है। आज भी हम लोग चोरी की नियत से आये थे और आपस मे विचार विमर्श कर ही रहे थे तो आप लोग पकड़ लिये इससे पहले भी हम लोग दिनांक 05.10.25 को औद्योगिक क्षेत्र के ओसवाल कारखाना मे लोहा काटने एवं चोरी करने के लिये आये थे। गाडीयो व व्यक्तियो भी आवाज सुनकर हम लोग 09 आक्सीजन सिलेण्डर, 03 अदद L.P.G. गैस सिलेण्डर व एक अदद कटर पाईप मशीन छोड़कर भाग गये थे। हम लोग इससे पहले भी दिनांक 16.5.2025 को रात मे अचकवापुर नेशनल हाइवे के किनारे ट्रान्सफारमर से तेल निकाल कर चोरी किये थे जिसको नेपाल ले जाकर 30000/ (तीस हजार) रुपये मे बेच दिये थे जिसमे हम लोग अपस में बांट लिए थे। जिसमे से खर्च होने के बाद हम लोगो के पास उसी रुपया मे से ही 3000 बचा है। साहब हम लोग छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन यापन करते है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

1. उ0नि0 मोती लाल यादव मय हमराह, उ0नि0 राकेश कुमार मय हमराह, H.C. नुरुद्दीन खाँ, का0 भानु प्रताप सिंह, का0 राजन कुमार यादव, H.C. सम्पूर्णानन्द यादव व का0 जनार्दन प्रसाद।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 घटनाओं का हुआ खुलासा करते हुये चोरी के मामले में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा पुलिस द्वारा दी गयी बाइट

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अभय गौड़ पुत्र सुनील गौड़ निवासी महनी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5995 द्वारा मानसिक स्थिति ठीक न होने पर घुमती मिली 01 महिला की पहचान कर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया – पीआरवी 5995 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत बढ़या ठाठर मे एक अज्ञात महिला जिसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने के संबंध में कालर द्वारा सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से सूचनास्थल पर पहुँचे जहाँ पर पहले से ही एक अज्ञात महिला एवं काफी मात्रा में ग्रामीण इकट्ठा थे। अज्ञात महिला से उसका नाम पूछने पर सिर्फ उसने अपना नाम रीता एवं गाँव का नाम पलहिया बताया पीआरवी कर्मियों के अथक प्रयासों के उपरान्त उक्त अज्ञात महिला की पहचान रीता पत्नी अशोक गौंड़ सा0 राखोपार टोला पलहिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई, तत्पश्चात पीआरवी कर्मियों द्वारा महिला के पति अशोक गौंड़ सा0 राखोपार टोला पलहिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर से सम्पर्क कर उसके पति अशोक गौंड़ उपरोक्त को सकुशल सुपुर्द किया गया। सूचना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से सूचनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर अज्ञात महिला की पहचान कर उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ० अविनाश गौंड़, हो0चा0 प्रदीप पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 313 वाहनों से 375,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 11.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 313 वाहनों से 375,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।